बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

सं०सं०–स्था०2/01–04/2016 /पटना, दिनांक

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)– पूर्णियाँ एवं सारण को छोड़कर।
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर, गया, सिवान पूर्णियाँ एवं लखीसराय को छोड़कर।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष–3454 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से संबंधित उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि में से अतिरिक्त राशि का प्रत्यार्पण करने के संबंध में।

प्रसंगः– अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक–341 दिनांक 07.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष 3454 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) से संबंधित उप शीर्षों के अन्तर्गत मदवार आवंटित राशि की विवरणी आपको प्रेषित करते हुए 31.03.2018 तक संभावित व्यय का आकलन कर आवंटन के विरुद्ध बचत योग्य राशि 15.02.2018 तक (विहित प्रपत्र में) प्रत्यार्पित करने का अनुरोध किया गया था। परन्तु निर्धारित तिथि के एक सप्ताह बाद तक आपके द्वारा वेतन शीर्ष में संभावित बचत का प्रत्यार्पण नहीं करना खेद का विषय है। विदित हो कि आपके द्वारा अभी बचत का प्रत्यार्पण करने से प्रत्यार्पित राशि दूसरे कार्यालय को आवंटित किया जा सकता है। परन्तु जिन आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा वेतन शीर्ष के संभावित बचत का प्रत्यार्पण अभी नहीं कर वित्तीय वर्ष के अन्त में (31.03.2018 को) प्रत्यार्पित किया जाएगा उसपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अतएव आप सभी को निदेश है कि उक्त उपशीर्षों CSO (35–3454022040002), BSS(35–3454022040001) एवं CGS (35–3454021110001) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध संभावित बचत का प्रत्यार्पण एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
ह०/–
निदेशक

ज्ञापांकः– 494 /पटना, दिनांक 22.02.18

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई–मेल पर प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/2/18

निदेशक

21/2/18

124, Binod,21.02.2018